F.No.1-53/2023- Estt(RCT)
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
ANSARI NAGAR, NEW DELHI - 110029

Date: 25 APR 2024

CIRCULAR

Subject: Engagement of retired government servants as Consultant on Contract Basis for AIIMS, New Delhi – reg.

****

AIIMS, New Delhi invites applications from Government servants from any Ministry/Department or Attached/Sub-ordinate Office or any Autonomous Body of the Govt. of India, who have retired or will retire by 30.04.2024, from the post in the pay scale of Level-07 to Level-11 in the Pay Matrix (Pre-revised GP Rs.4600/- to Rs.6600/- in PB-3) for engagement as Consultant on contract basis as per the following details:-

No. of positions	Age Limit	Eligibility	Remuneration Per Month
02	Should not have attained the age of 62 years as on closing date.	**Legal matters** a) Should have retired from the post in the pay scale of Level-07 to Level-11 in the pay matrix (Pre-revised GP Rs.4600 to Rs. 6600/-) from Central Government Ministry/Department Attached/Sub-ordinate Office /Autonomous Bodies. b) Degree in Law from a recognized University/ Institution. c) Should have minimum 5 years' experience of handling Legal Matters/Court/CAT cases d) Should have working knowledge of computer application in the day to day functioning of office.	To be calculated as per the guidelines of D/o Expenditure O.M. No. 3-25/2020-E.IIIA dated 09.12.2020.
02	Should not have attained the age of 62 years as on closing date.	**Disciplinary cases and Vigilance matters** a) Should have retired from the post in the pay scale of Level-07 to Level-11 in the pay matrix (Pre-revised GP Rs.4600 to Rs. 6600/-) from Central Government Ministry/Department Attached/Sub-ordinate Office /Autonomous Bodies.	To be calculated as per the guidelines of D/o Expenditure O.M. No. 3-25/2020-E.IIIA dated 09.12.2020.

		b) Should have minimum five years experience of handling vigilance/disciplinary cases/ departmental inquiries. c) Should have working knowledge of computer application in the day to day functioning of office.	
03	Should not have attained the age of 62 years as on closing date.	**<u>Service matters</u>** a) Should have retired from the post in the pay scale of Level-07 to Level-11 in the pay matrix (Pre-revised GP Rs.4600 to Rs. 6600/-) from Central Government Ministry/Department Attached/Sub-ordinate Office /Autonomous Bodies. b) Should have sound knowledge of Establishment/Administration/ Service matters and an experience of at least 5 years of dealing with such issues. c) Should have working knowledge of computer application in the day to day functioning of office.	To be calculated as per the guidelines of D/o Expenditure O.M. No. 3-25/2020-E.IIIA dated 09.12.2020.

Interested candidates, who fulfill the eligibility criteria, may submit their application in the prescribed proforma in sealed cover super-scribed "Application for engagement as Consultant on contract basis at AIIMS, New Delhi" which should reach this office at the following address **within one month from the publication of the advertisement on the website**.

Administrative Officer
Recruitment Cell
1st Floor, Administrative Block
AIIMS, New Delhi-110029

(Vishwesh Chaturvedi)
Administrative Officer

Proforma

Application for Engagement of a retired Govt. officer as Consultant at AIIMS, New Delhi

<table>
<tr><td>Name of the Officer (in capital letters)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Date of Birth</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Educational and professional qualifications</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Date of superannuation from Government services</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Aadhar No. and PAN No. (enclose Xerox copy of each)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>PPO No. (enclose Xerox Copy)
Copy of Retirement Notification
Copy of Last Pay Certificate</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Complete residential address with Phone No./ Mobile No/Email Id</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Last Office's Address (at the time of retirement)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Whether retired on attaining the age of superannuation or voluntary retirement</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Brief particulars of experience in Govt. service during last 10 years just before retirement</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Details of the Ministry/Department/Office, posts held and nature of duties performed/experience during service period</td><td>Post Held</td><td>From</td><td>To</td><td>Pay Level/ Pay Band GP</td><td>Area of experience</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Details of post-retirement assignments undertaken / experience, if any</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Whether any penalty was imposed during the service period or after retirement. If yes, the details thereof:</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Any other relevant information in support of your suitability for the instant assignment, attach a separate sheet, if necessary</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>List of documents enclosed (self-certified copies)</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

I hereby declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I further declare that I was clear from vigilance angle at the time of my retirement. I have read this document and ready to accept all the term & conditions for engagement of Consultants.

(Signature of the Candidate)

Place :

Terms & Conditions

1. Period of engagement

The engagement shall be initially for a period of *one year* which may be extended/curtailed depending upon the performance of the Consultant or functional requirement of the Office with the approval of the Competent Authority.

2. Selection Procedure

The engagement will be purely on contract basis. The positions reflected above are tentative and may increase/decrease. Application received in response to this advertisement will be shortlisted on the basis of experience and qualification of applicants. The Consultant shall be selected from amongst the shortlisted candidates on the basis of personal interaction / interview.

"AIIMS reserves the right to reject any application without assigning any reason."

3. Remuneration

A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at as per the guidelines of D/o Expenditure O.M. No. 3-25/2020-E.IIIA dated 09.12.2020 and for persons retired with NPS, an amount equivalent to 30% of the last basic pay as drawn at the time of retirement shall be deducted from the last basic pay and resultant amount shall be the fixed monthly amount as remuneration. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of contract and there will be no annual increment/ percentage increase during the contract period.

4. Scope of Duties

During the period of such engagement, the consultants would be required to perform any work as assigned to them by the concerned in-charges in the Institute in which they would be posted to work as Consultant.

5. Leave

The Consultant will be entitled for the paid leave at the rate of 1.5 days for each complete month of service. Accumulation of leave beyond calendar year may not be allowed. In special circumstances, the Consultant could be called for services on holidays or beyond normal working hours for which no extra remuneration will be paid.

6. Transport Allowance

An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment. However, retired employees engaged as consultant may be allowed TA/DA on official tour, if any, as per their entitlement at the time of retirement.

7. Office time and working hours

Engagement of Consultants would be on full time basis. Working hours shall be from 9:30 AM to 5:15 PM during working days i.e from Monday to Friday and Saturday from 9.30 AM to 1.30 PM. They will not be allowed to take any other assignment during the period of contractual engagement. The Consultants may be called on Sunday/other Gazetted holidays, if required. The consultant may be required to mark his/her attendance in Bio-metric System or any other system as prescribed time to time.

8. Tax deduction at Source

The Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment for which the office will issue TDS certificate.

9. Confidentiality of data and documents

The Intellectual Property Rights (IPR) of the data collected as well as the deliverables produced for the office shall remain with this office. No one shall utilize or publish or disclose or part with, to a third party, any part of the data or statistics or proceedings or information collected for the purpose of this assignment or during the course of the assignment for the office, without the express written consent of the office. The Consultant shall be bound to hand over the entire set of records of assignment to the office before the expiry of the contract, and before the final payment is released by the office.

10. Conflict of Interest

The Consultant appointed by this office, shall in no case represent or give opinion or advice to others in any matter which is adverse to the interest of this office. No Consultant would be permitted to take up any other assignment during the period of Consultancy.

11. Termination of engagement

The engagement may be terminated at any time by the office without assigning any reasons by giving a notice of 07 days. In case, a Consultant desires to leave the assignment, he/she has to give 07 day's notice which can be curtailed/extended depending upon the workload.

> **"In the event any Consultant is found unfit on any account or if he/she is found guilty of any insubordination/misconduct, his/her services can be terminated immediately without any notice."**

12. Guidelines for the submission of the application

The duly completed application in prescribed proforma should be submitted so as to reach the office within one month from the publication of the advertisement on the website. Any application received after the above date will not be entertained.

फा.सं. 1-53/2023- स्था (भर्ती)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

1

दिनांक: 29 APR 2024

परिपत्र

विषय: एम्स, नई दिल्ली हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने संबंधी।

एम्स, नई दिल्ली द्वारा किसी भी मंत्रालय/विभाग या संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय अथवा भारत सरकार के स्वायत्त निकाय के सरकारी कर्मचारियों, जो वेतन मैट्रिक्स (पी.बी-3 में पूर्व संशोधित ग्रेड वेतन रु. 4600/- से रु. 6600/-) में वेतन लेवल- 07 से लेवल-11 के पद से दिनांक 30.04.2024 तक सेवानिवृत्त हो गए है अथवा सेवानिवृत्त होगें, से निम्नलिखित विवरणों के अनुसार संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

पदों की संख्या	आयु सीमा	योग्यता	वेतन प्रति माह
02	आवेदन की अंतिम तिथि को 62 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हुई हो।	**विधिक मामले** क) केंद्र सरकार के मंत्रालय/संबंद्ध विभाग/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकायों से वेतन मैट्रिक्स (पूर्व संशोधित ग्रेड वेतन रु. 4600 से रु. 6600/-) में लेवल 07 से लेवल-11 के वेतनमान में पद से सेवानिवृत्त हुए हों। ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में डिग्री। ग) विधिक मामले/कोर्ट/कैट केसों के कार्य संबंधी कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। घ) कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्यो में कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए।	व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के का.ज्ञा. सं. 3-25/2020-ई. IIIए के दिशा-निर्देशों के अनुसार गणना की जाए
02	आवेदन की अंतिम तिथि को 62 वर्ष की आयु पूर्ण	**अनुशासनिक एवं सतर्कता मामले** क) केंद्र सरकार के मंत्रालय/संबंद्ध विभाग/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकायों से वेतन मैट्रिक्स (पूर्व संशोधित ग्रेड वेतन रु. 4600 से रु. 6600/-) में लेवल 07 से लेवल-11 के वेतनमान में पद से सेवानिवृत्त हुए हों। ख) सतर्कता/अनुशासनिक मामलों/विभागीय जांचों के कार्य संबंधी कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के का.ज्ञा. सं. 3-25/2020-ई. IIIए के दिशा-निर्देशों के अनुसार

	नहीं हुई हो।	ग) कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए।	गणना की जाए
03	आवेदन की अंतिम तिथि को 62 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हुई हो।	<u>**सेवा मामले**</u> क) केंद्र सरकार के मंत्रालय/संबंद्ध विभाग/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकायों से वेतन मैट्रिक्स (पूर्व संशोधित ग्रेड वेतन रु. 4600 से रु. 6600/-) में लेवल 07 से लेवल-11 के वेतनमान में पद से सेवानिवृत्त हुए हों। ख) स्थापना/प्रशासन/सेवा मामलों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और ऐसे विषयों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ग) कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए।	व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के का.ज्ञा. सं. 3-25/2020-ई.IIIए के दिशा-निर्देशों के अनुसार गणना की जाए

योग्यता मानदंड को पूर्ण करने वाले इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रोफार्मा में अपना आवेदन सीलबंद लिफाफे में जमा कर सकते हैं, जिस पर "एम्स, नई दिल्ली में संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र" लिखा होना चाहिए। यह आवेदन इस कार्यालय के निम्नलिखित पते पर **वेबसाइट पर इस विज्ञापन के प्रकाशन के एक माह के भीतर पहुंच जाना चाहिए।**

प्रशासनिक अधिकारी
भर्ती प्रकोष्ठ
प्रथत तल, प्रशासनिक खण्ड
एम्स, नई दिल्ली-110029

(विश्वेश चतुर्वेदी)
प्रशासनिक अधिकारी

विश्वेश चतुर्वेदी / Vishwesh Chaturvedi
प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer
भर्ती प्रकोष्ठ / Recruitment Cell
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली / A.I.I.M.S., New Delhi-29

<u>प्रोफार्मा</u>

एम्स, नई दिल्ली में परामर्शदाता के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की नियुक्ति हेतु आवेदन

अधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)					
जन्म-तिथि					
शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता					
सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि					
आधार सं. एवं पैन सं. (प्रत्येक की फोटोप्रति संलग्न करें)					
पीपीओ सं. (फाटोप्रति संलग्न करें) सेवानिवृत्ति अधिसूचना की प्रति अंतिम वेतन प्रमाणपत्र की प्रति					
फोन नं./मोबाइल नं./ ई-मेल आईडी सहित पूर्ण आवासीय पता					
अंतिम कार्यालय का पता (सेवानिवृत्ति के समय)					
क्या अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं।					
सेवानिवृत्ति से कुछ समय पूर्व पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकारी सेवा में अनुभव का संक्षिप्त विवरण					
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, धारित पद तथा सेवा अवधि के दौरान निष्पादित ड्यूटी की प्रकृति/अनुभव का विवरण	धारित पद	से	तक	वेतन लेवल/ वेतन बैंड ग्रेड वेतन	अनुभव का क्षेत्र
सेवानिवृत्ति के पश्चात किए गए कार्यों/अनुभव का विवरण, यदि कोई हो					
क्या सेवा अवधि के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई दण्ड अधिरोपित किया गया, यदि हां, तो उसका विवरण:					
तत्काल कार्यभार हेतु आपकी उपयुक्तता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित जानकारी, यदि आवश्यक हो तो एक अलग पृष्ठ संलग्न करें।					
संलग्न दस्तावेजों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रतियां)					

मैं, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती/करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूं कि अपनी सेवानिवृत्ति के समय मुझे सतर्कता दृष्टिकोण अनापत्ति प्रदान की गई थी। मैंने इस दस्तावेज को पढ लिया है तथा मैं परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

नियम एवं शर्तें

1. **नियुक्ति की अवधि:**

प्रारंभ में नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से परामर्शदाता के कार्य-निष्पादन या कार्यालय की कार्य संबंधी आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया/घटाया जा सकता है।

2. **चयन की प्रक्रिया:**

नियुक्ति पूर्णत: संविदा के आधार पर होगी। ऊपर दर्शाए गए पदों की संख्या अस्थायी हैं एवं इन्हें घटाया/बढ़ाया जा सकता है। इस विज्ञापन के जवाब में, जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उन्हें आवेदकों के अनुभव एवं अर्हता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परामर्शदाता का चयन वैयक्तिक वार्तालाप/साक्षात्कार के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से किया जाएगा।

"एम्स के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।"

3. **वेतन:**

एक निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी, जो व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3-25/2020-ई ।।।ए के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी एवं एन.पी.एस. के साथ सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम मूल वेतन के 30% के बराबर राशि अंतिम मूल वेतन से काट ली जाएगी तथा इसके परिणामस्वरूप शेष राशि वेतन के रूप में निश्चित मासिक राशि होगी। इस प्रकार निर्धारित वेतन की राशि संविदा की अवधि तक अपरिवर्तित रहेगी एवं संविदा की अवधि के दौरान कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी।

4. **कार्य की प्रकृति:**

इस नियुक्ति की अवधि के दौरान परामर्शदाताओं को उस संस्थान में संबंधित प्रभारीगण द्वारा उन्हें सौंपा गया कोई भी कार्य करना अपेक्षित होगा जहां उन्हें परामर्शदाता के रूप में काम करने हेतु तैनात किया जाएगा।

5. **अवकाश:**

परामर्शदाता सेवा के प्रत्येक पूरे महीने हेतु 1.5 दिन की दर से सवेतन अवकाश के हकदार होंगे। कैलेंडर वर्ष के बाद छुट्टी जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विशेष परिस्थितियों में परामर्शदाता को अवकाश के दिन अथवा सामान्य कार्य समय के बाद कार्य हेतु बुलाया जा सकता है, जिसके लिए कोई भी अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

6. **परिवहन भत्ता:**

निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन हेतु परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित एवं निश्चित राशि निर्धारित की जाएगी जो कि सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति को मिल रही लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय

उनकी पात्रता के अनुसार, आधिकारिक दौरे पर परिवहन भत्ता/दैनिक भत्ता, यदि कोई हो, प्रदान किया जा सकता है।

7. **<u>कार्यालय समय एवं कार्य समय:</u>**

परामर्शदाताओं की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी। कार्य दिवसों के दौरान काम का समय अर्थात् सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9.30 बजे से शाम 5.15 बजे तक एवं शनिवार को प्रातः 9.30 बजे से अपराहन 1.30 बजे तक रहेगा। संविदात्मक नियुक्ति की अवधि के दौरान उन्हें कोई अन्य एसाइनमेन्ट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो परामर्शदाताओं को रविवार /अन्य राजपत्रित अवकाशों के दिन बुलाया जा सकता है। परामर्शदाता को समय समय पर निर्धारित बायोमेट्रिक प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली में अपनी हाजिरी दर्ज करना अपेक्षित हो सकता है।

8. **<u>स्रोत पर कर कटौती:</u>**

भुगतान करने से पहले मौजूदा नियमों के अनुसार कटौती योग्य आयकर या कोई अन्य कर आय के स्रोत पर काटा जाएगा जिसके लिए कार्यालय टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

9. **<u>डेटा एवं दस्तावेजों की गोपनीयता:</u>**

एकत्र किए गए डेटा के साथ-साथ कार्यालय हेतु उत्पादित उत्पाद के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) इस कार्यालय के पास रहेंगे। कोई भी इस एसाइनमेन्ट के प्रयोजन के लिए या कार्यालय के लिए एसाइनमेन्ट के दौरान एकत्र किए गए डेटा या आंकडों या कार्यवाही या सूचना के किसी भी हिस्से का उपयोग या प्रकाशन या किसी तीसरे पक्ष को खुलासा, कार्यालय को लिखित जानकारी के बिना नहीं करेगा। परामर्शदाता संविदा की समाप्ति से पहले एवं अंतिम भुगतान जारी होने से पहले एसाइनमेन्ट के रिकॉर्ड का पूरा सेट कार्यालय को सौंपने हेतु बाध्य होगा।

10. **<u>हितों का टकराव:</u>**

इस कार्यालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में एवं ऐसे किसी भी विषय पर किसी दूसरे को राय या सलाह या प्रतिनिधित्व नहीं करेगा जो इस कार्यालय के हित के प्रतिकूल हो। नियुक्ति अवधि के दौरान किसी भी परामर्शदाता को कोई अन्य एसाइनमेन्ट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. **<u>संविदा की समाप्ति:</u>**

कार्यालय द्वारा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए 07 दिन का नोटिस देकर संविदा को समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई परामर्शदाता एसाइनमेन्ट छोडना चाहता है तो उसे 07 दिन का नोटिस देना होगा जिसे कार्यभार के आधार पर घटाया/बढाया जा सकता है।

"यदि कोई परामर्शदाता किसी भी कारण से अयोग्य पाया जाता है अथवा यदि वह किसी अवज्ञा/कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसकी सेवाएं बिना किसी नोटिस के तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।"

12. **<u>आवेदन जमा करने हेतु दिशा-निर्देश:</u>**

निर्धारित प्रोफॉर्मा में विधिवत रूप से पूर्ण आवेदन पत्र वेबसाइट पर विज्ञापन के प्रकाशन से एक महीने के भीतर कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उपर्युक्त तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।